

## विज्ञापित-नीलामी

जिला पंचायत के लाइसेन्स-ठेकों के नीलाम अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 15.01.2016 के उपरान्त प्रत्येक माह के प्रथम/तृतीय सोमवार को अपराह्न 1:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत में सम्पन्न की जायेगी, और नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत राशि निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जमा करनी होगी।

क्र०	ठेके का विवरण	जमानत राशि	प्रथम बोली धनराशि
1	काजी हाउस रामघाट	5,000.00	5,000.00
2	काजी हाउस आहार-	2,500.00	5,000.00
3	पशु पैठ दौलतपुर खुर्द	10,000.00	10,000.00
4	पशु पैठ में लदान-उत्तरान का ठेका -	1,000.00	2,000.00
	01. जाडौल	1,000.00	2,000.00
	02. अहमदगढ़	1,000.00	2,000.00
	03. अनिया	1,000.00	2,000.00
	04. मोहना	1,000.00	2,000.00
	05. मखेना	1,000.00	2,000.00
	06. धर्मपुर	1,000.00	2,000.00
	07. दरावर	1,000.00	2,000.00
	08. जरगवां	1,000.00	2,000.00
	09. जहाँगीराबाद	1,000.00	2,000.00
	10. दौलतपुर कला	1,000.00	2,000.00
	11. नरायनपुर	1,000.00	2,000.00
	12. लच्छमपुर	1,000.00	2,000.00
	13. बेलौन	5,000.00	10,000.00
5.	हॉलिंग/विज्ञापन समस्त प्रचार प्रसार आदि	2,00000-00	10,00000-00
6.	हड्डी चमडे के लाईसेन्स/ठेके वर्ष 2016-17 का विवरण :-		
	1- समस्त विकास खण्ड दानपुर	5,000.00	10,000.00
	2-समस्त विकास खण्ड डिबाई	10,000.00	20,000.00
	3-समस्त विकास खण्ड शिकारपुर	15,000.00	30,000.00
	4-समस्त विकास खण्ड अरनिया	15,000.00	30,000.00
	5- विकास खण्ड जहाँगीराबाद की न्याय पंचायत- लच्छोई, टिटौटा, नवीनगर, ककरई	50,000.00	100,000.00
	5(2)-विकास खण्ड जहाँगीराबाद की न्याय पंचायत- जाडौल, दकरोली, परवाना	25,000.00	50,000.00
	6-विकास खण्ड पहासू की न्याय पंचायत- अहमदगढ़, उटरावली, क्रियावली	10,000.00	20,000.00
	6(2)-विकास खण्ड पहासू की न्याय पंचायत- त्यौर-बुजुर्ग, कमीना तथा ग्राम सभा चौदेरा	10,000.00	20,000.00
	6(3)-विकास खण्ड पहासू की न्याय पंचायत- कुंवरपुर, बनैल, दुण्डाखेडा, गंगागढचौदेरा (ग्राम सभा चौदेरा को छोड़कर)	15,000.00	30,000.00
	7-विकास खण्ड ऊँचागाँव की न्याय पंचायत- दौलतपुर कला, घुघरावली, खदोई, ऊँचागाँव	20,000.00	40,000.00
	7(2)- विकास खण्ड ऊँचागाँव की न्याय पंचायत- गिरौरा, चठरा, नरसेना,	15,000.00	30,000.00
	8-विकास खण्ड अगोता की न्याय पंचायत-अगोता, शरीफपुर-भैसरोली	15,000.00	30,000.00
	9-विकास खण्ड बी0बी0 नगर की न्याय पंचायत-केशीपुर-सठला	10,000.00	20,000.00
	9(2)-विकास खण्ड बी0बी0 नगर की न्याय पंचायत-खरखाली, कुचैसर	15,000.00	30,000.00
	10-विकास खण्ड अनूपशहर की न्याय पंचायत-मोहरसा, डरौरा, तोली	45,000.00	90,000.00
	10(2)-विकास खण्ड अनूपशहर की न्याय पंचायत- बिरोली, विवियाना, मलकपुर	5,000.00	10,000.00
	10(3)-विकास खण्ड अनूपशहर की न्याय पंचायत- सलामतपुर	5,000.00	10,000.00
	11-विकास खण्ड गुलावठी की न्याय पंचायत- कौटा, मोहाना, भटौना, आठ चन्दपुरा	10,000.00	20,000.00
	11(2)-विकास खण्ड गुलावठी की न्याय पंचायत- गिरधरपुर-नवादा, खुशहालपुर, मिटठेपुर	20,000.00	40,000.00
	11(3)-विकास खण्ड गुलावठी की न्याय पंचायत- बराल	1,500.00	3,000.00
	12-विकास खण्ड खुर्जा की न्याय पंचायत- सारंगपुर, गोठनी, रामगढी, नेकपुर, छपना	20,000.00	40,000.00
	12(2)-विकास खण्ड खुर्जा की न्याय पंचायत- धरपा, धराऊं, मुण्डाखेडा, मीरपुर, अरनिया-मंसूरपुर	15,000.00	30,000.00
	12(3)-विकास खण्ड खुर्जा की न्याय पंचायत- धिगरावली तथा ग्राम सभा लडूकी	10,000.00	20,000.00
	13-विकास खण्ड स्याना की न्याय पंचायत- खादमोहन नगर	10,000.00	20,000.00
	13(2)-विकास खण्ड स्याना की न्याय पंचायत- विगराऊ	10,000.00	20,000.00
	13(3)-विकास खण्ड स्याना की न्याय पंचायत- घंसूरपुर	5,000.00	10,000.00
	13(4)-विकास खण्ड स्याना की न्याय पंचायत-नयाबास-साहनपुर	10,000.00	20,000.00
	14-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत-सलैमपुर-जाट, खानपुर	5,000.00	10,000.00
	14(2)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत-अमीपुर-बांगर	2,000.00	5,000.00
	14(3)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- सिकन्द्राबाद-देहात, हृदयपुर	5,000.00	5,000.00
	14(4)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत-भराना, चोला	15,000.00	30,000.00
	14(5)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- झाझर	1,500.00	3,000.00
	14(6)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- बिलसूरी, ईस्माईलपुर, बीरखेडा, डे-आठा	2,500.00	5,000.00



14(7)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- आ0-प्रानगढ, महेपा जांगीर		2,500.00	5,000.00
14(8)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- बडौदा		2,000.00	4,000.00
14(9)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत- गेसपुर		3,000.00	6,000.00
14(10)-विकास खण्ड सिकन्द्राबाद की न्याय पंचायत-गाजीपुर		2,500.00	5,000.00
15-विकास खण्ड लखवटी की न्याय पंचायत- लखावटी		5,000.00	10,000.00
16-वि0ख0 बुलन्दशहर की न्याय पंचायत- अकबरपुर, दरियापुर, काजीपुरा, मालागढ, धमेडा कीरत, इमलिया, उटरावली, पौडरी, मिजापुर, हात्माबाद, बहलीमपुरा, नैथला हसनपुर, हरतौली, बसेन्दुआ		2,500.00	5,000.00

## 1-नीलाम-शर्त बाबत लाइसेन्स की रॉयल्टी मृतक पशु शव निस्तारण वर्ष 2016-17 हेतु-

- शासनादेशों के अनुपालन में जनपद में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा पंजीकृत/कार्यरत उक्त व्यवसाय से जुड़ी सहकारी समितियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह वर्ष 2016-2017 का अपने कार्यक्षेत्र में लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो अपना आवेदन-पत्र नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। निर्धारित उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ समिति को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा प्रदत्त पंजीकरण, उपविधियां, कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य, गतवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, समिति के सदस्यों की सूची, बैंक खाता पास-बुक, कार्यवाही पंजिका, जिसमें समिति द्वारा यह प्रस्ताव किया गया हो, कि वर्ष 2016-2017 का लाइसेन्स लेना चाहते हैं, की प्रमाणित-प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बुलन्दशहर की समिति के कार्यक्षेत्र एवं लाइसेन्स लेने हेतु पात्रता सम्बन्धी संस्तुति भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन-पत्र प्रेषित करने से पूर्व समस्त बकाया धनराशि जमा करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा समिति आवेदन के लिये पात्र नहीं मानी जायेगी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा पंजीकृत जिन सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2016-2017 हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं, किन्तु अभी तक गत वर्षों की बकाया एवं गत वर्ष हेतु निर्धारित लाइसेन्स रॉयल्टी की धनराशि जमा नहीं की गई है, यदि उनके द्वारा निर्धारित उक्त नीलाम तिथि से पूर्व धनराशि जमा कर दी जाती है, तो उनके कार्यक्षेत्र का नीलाम नहीं किया जायेगा।

### अथवा

- मृतक पशु शव निस्तारण के लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल 2016 को प्रारम्भ होकर दिनांक 31.03.2017 को समाप्त होगी। यदि लाइसेन्स वर्ष की कालावधि में दिया गया है, तो भी आगामी दिनांक 31.03.2016 को समाप्त हो जायेगी।
- मृतक पशु शव निस्तारण के लाइसेन्स की रॉयल्टी के निर्धारण हेतु बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जो पैतृक रूप से मृतक पशु शव निस्तारण का कार्य करता हो तथा उसका चरित्र अच्छा हो। इसके लिये उसको ग्राम प्रधान/लेखपाल का उक्त आशय का प्रमाण-पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि बोली अंकन 100000.00 रुपये से अधिक आती है, तो उसे जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो, तभी बोली की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- समस्त विकास खण्ड की बोली बोलने हेतु जमानत धनराशि अंकन 50000.00 रुपये तथा न्याय पंचायत हेतु अंकन 5000.00 रुपये होगी, जो बोली बोलने से पूर्व जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोलीदाता बोली की समाप्ती के बाद बोली की समस्त धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है, तो द्वितीय बोलीदाता को अपनी बोली की समस्त धनराशि जमा करने हेतु कहा जायेगा, यदि वह भी बोली की समस्त धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी भी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- नीलाम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोड़ा जायेगा।
- नीलाम में वही व्यक्ति भाग लेने का हकदार होगा, जिस पर जिला पंचायत की पूर्व की कोई बकाया धनराशि नहीं होगी।
- लाइसेन्सधारी को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
- ठेकादार को तत्सम्बन्धी उपविधियों शासनादेशों एवं कार्यालय आदर्शों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- उक्त शर्तों में नीलाम समिति को अधिकार होगा कि वह नीलाम के समय किसी शर्त को पूर्व एवं आंशिक रूप से परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन कर सकती है।

## 2-अन्य नीलामी-

- समस्त ठेकों की अवधि दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक एक वर्ष के लिये होगी। क्रम संख्या 04(13), में वर्ष 2016-17 अवधि तीन वर्ष होगी। तथा बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उच्चतम बोलीदाता को नीलाम की समस्त धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता को उसकी बोली की धनराशि जमा करने के लिए कहा जा सकता है। उस पर यदि वह भी धनराशि जमा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी उसके बाद पुनः नीलाम की कार्यवाही की जाएगी।
- ठेकेदार को उपविधियों में निर्धारित दरों के अनुसार वसूली करनी होगी। निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- जिला पंचायत के किसी भी बकायेदार को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- नीलाम समिति को अधिकार होगा कि नीलाम की धनराशि 50 प्रतिशत अधिक हो जाने पर को देखते हुए जमानत धनराशि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- नीलाम स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। नीलाम स्वीकृति की प्रत्याशा में किया जाएगा।
- ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय पर नीलाम धनराशि पर निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।



8. ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पशु पैंठ, पशु पैंठ में पशुओं के लदान-उतरान, काजी हाउस, स्थल की सफाई एवं अन्य व्यवस्था करनी होगी।
9. यदि ठेकेदार अपने कार्य में सहयोग हेतु अपने कर्मचारी नियुक्त करता है तो वह ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त कर सकता है जिनका चरित्र उत्तम हो तथा उनकी छवि भी अच्छी हो। ऐसे कर्मचारियों की सूची विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
10. ठेकादार को तत्सम्बन्धी उपविधियों शासनादेशों एवं जिला पंचायत के कार्यालय आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व शर्तों का भाग होगा।
11. यूनिपोल होल्डिंग बोर्ड के ठेके में जिला पंचायत द्वारा लगाये गये पोल पर होल्डिंग बोर्ड ठेके 6(i) में सम्मिलित नहीं होंगे।
12. जिला पंचायत बुलन्दशहर के किसी भी प्रकार के बकायेदार को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
13. यदि ठेकेदार द्वारा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ठेका छोड़ा जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई पूर्ण धनराशि को जब्त कर ठेका निरस्त कर पुनः नीलामी कार्यवाही की जायेगी।
14. शुल्क की वसूली किसी भी दशा में वैरियर लगाकर नहीं की जायेगी।
15. प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
16. ठेकेदार निर्धारित शुल्क निर्धारित स्थान पर ही वसूल करेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसमें ठेके को निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है।

(प्रदीप कुमार)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

### कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

पत्रांक 1017 / अनुभाग-4 / 05732-282160 / 2015-16

दिनांक 5-1-2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
4. अपर जिलाधिकारी महोदय, (वि०/रा०) बुलन्दशहर।
5. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत बुलन्दशहर को नीलामी सम्पन्न कराने हेतु।
7. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत बुलन्दशहर को नीलामी सम्पन्न कराने हेतु।
8. समस्त क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को नीलामी के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार मुनादी कराने हेतु।
9. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट <http://bulandshahr.nic.in> तथा <http://zpbulandshahr.org> पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्पादक, दैनिक जागरण, व आज का मुद्दा, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ कि वह उक्त विज्ञापित अपने समाचार-पत्र के आगामी अंक में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार-पत्र की दो प्रतियों सहित कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(प्रदीप कुमार)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।